



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणाम ढांचा दस्तावेज़

2013 - 14

उपभोक्ता मामले विभाग

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

www.fcamin.nic.in

www.consumeraffairs.nic.in

खंड 1**दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य****दृष्टिकोण**

देश में उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ता अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देना।

लक्ष्य

उपभोक्ताओं से सम्बन्धित विधायनों को सुदृढ़ बनाना और उपभोक्ता कल्याण की विभिन्न स्कीमों और विवाद प्रतितोष तन्त्र का प्रभावी कार्यान्वयन करना। देश में जीवन्त उपभोक्ता आन्दोलन को चलाने के लिए राज्य सरकारों, शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है। उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं के लिए अनिवार्य मानकों का प्रवर्तन करना।

उद्देश्य

1. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाकर उन्हें सशक्त बनाना।
2. उपभोक्ता विवादों के प्रभावी, सस्ता और शीघ्र प्रतितोष का प्रावधान करना।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रवर्तन तंत्र के आधार-ढांचे का विस्तार और विधिक मान-विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन करना।
4. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और एम आई एस की स्थापना करना।
5. राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रयोगशालाओं के एक स्वतंत्र मूल्यांकन को पूरा करना।
6. वस्तु वायदा बाजारों का सफल विनियमन।
7. वायदा बाजारों और वायदा बाजार आयोग को सुदृढ़ करना।
8. मानकों का प्रतिपादन करना तथा उत्पादों और सेवाओं के अनुरूपता आकलन को सुदृढ़ करना।
9. विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन और संरक्षण।
10. आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन एवं विनियमन।
11. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करना।

कार्य

I उपभोक्ता संरक्षण

- (i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन।
- (ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
- (iii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला।
- (iv) पैकबंद वस्तुओं का विनियमन और नए अधिनियम अर्थात् विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन।

II उपभोक्ता जागरूकता

- (i) 'जागो ग्राहक जागो' मल्टीमीडिया अभियान।

III मानक निर्धारित करना

- (i) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन।

IV आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विनियमन

- (i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन।
- (ii) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन।

V उपभोक्ता सहकारिताएं

- (i) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ

VI कमोडिटी एक्सचेंज

- (i) वायदा बाजार आयोग के माध्यम से वस्तु भावी सौदा व्यापार का विनियमन।
- (ii) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का कार्यान्वयन।

VII आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी

- (i) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों की निगरानी।
- (ii) दालों की उपलब्धता।

VIII राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके उपभोक्ताओं से संबंधित कार्यक्रम।

- (i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता हैल्पलाइनों की स्थापना।
- (ii) उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण।

खंड 2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

तालिका 1: परिणाम ढांचा दस्तावेज़ (आर.एफ.डी.) का प्रारूप

| कॉलम 1 | कॉलम 2 | कॉलम 3 | कॉलम 4 | कॉलम 5 | | कॉलम 6 | कॉलम 7 | | | | |
|--|--------|--|--------------------|---|--------|--------|---------------------|------------|---------|----------|---------|
| उद्देश्य | भार | कार्रवाईयां | कार्रवाई की श्रेणी | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
| | | | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| उद्देश्य-1 अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाना | 15 | कार्रवाई 1 प्रिन्ट विज्ञापन के माध्यम से प्रचार | बाह्य आउटपुट | हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन - विज्ञापनों की संख्या। | संख्या | 2 | 10500 | 9450 | 8400 | 7350 | 6300 |
| | | कार्रवाई 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार | बाह्य आउटपुट | दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, निजी टी.वी.चैनलों और निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों तथा लोक सभा/राज्य सभा टी.वी. के माध्यम से श्रव्य दृश्य स्पॉट रिलीज़ करना - स्पॉटों की संख्या | संख्या | 3 | 168,000 | 151,200 | 134,400 | 117,600 | 100,800 |
| | | कार्रवाई 3 अन्य माध्यमों से प्रचार | बाह्य आउटपुट | बैनरों, होर्डिंगों, डाकघर की पास बुकों, रेलवे टिकटों, व्यापार मेलों, तिरुपति प्रवेश कार्डों, मेलों/ प्रदर्शनियों में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से विज्ञापन | संख्या | 1 | 7900 | 7110 | 6320 | 5530 | 4740 |

| कॉलम 1 | कॉलम 2 | कॉलम 3 | कॉलम 4 | कॉलम 5 | | कॉलम 6 | कॉलम 7 | | | | |
|---|--------|---|--------------------|---|--------|--------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| उद्देश्य | भार | कार्रवाईयां | कार्रवाई की श्रेणी | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
| | | | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | कार्रवाई 4 एक संयुक्त उपभोक्ता जागरूकता सूचकांक (सी.ए.आई.) विकसित करना | आउटकम | देश में उपभोक्ता जागरूकता के राष्ट्रीय संयुक्त सूचकांक को अन्तिम रूप देना | तारीख | 2 | 14.1.2014 | 31.1.2014 | 14.2.2014 | 28.2.2014 | 15.3.2014 |
| | | कार्रवाई 5 झुठे/भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम | गतिविधि | भ्रामक विज्ञापनों के खतरे से निपटने के लिए सचिवों की समिति/मंत्रिमंडल को एक नोट प्रस्तुत करना | तारीख | 3 | 31.10.13 | 15.11.13 | 30.11.13 | 15.12.13 | 31.12.13 |
| | | कार्रवाई 6 राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार करना | गतिविधि | राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति के मसौदे पर सचिवों की समिति/मंत्रिमंडल को एक नोट प्रस्तुत करना | तारीख | 3 | 14.1.2014 | 31.1.2014 | 14.2.2014 | 28.2.2014 | 15.3.2014 |
| | | कार्रवाई 7 उपभोक्ताओं की शिकायतों के बारे में अध्ययन - शिकायतों का वर्गीकरण/प्रकृति | आउटकम | अध्ययन को पूरा करना | तारीख | 1 | 31.12.13 | 31.1.14 | 28.2.14 | 15.3.14 | 31.3.14 |
| उद्देश्य -II उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी, किफायती और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का प्रावधान | 19 | कार्रवाई -1 उपभोक्ता मंचों के प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना तैयार करना | गतिविधि | लाभार्थी उपभोक्ता मंचों की संख्या | संख्या | 5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| | | कार्रवाई -2 कन्फोनेट स्कीम के तहत उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण | गतिविधि | देश के सभी उपभोक्ता मंचों में कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को पूरा करना | संख्या | 8 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |

| कॉलम 1 | कॉलम 2 | कॉलम 3 | कॉलम 4 | कॉलम 5 | | कॉलम 6 | कॉलम 7 | | | | |
|--|--------|---|--------------------|--|-------------------------------|--------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| उद्देश्य | भार | कार्रवाईयां | कार्रवाई की श्रेणी | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
| | | | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | कार्रवाई -3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन स्थापित करना | आउटकम | अनेक अतिरिक्त राज्य हैल्पलाईनें कार्यरत हैं। | संख्या | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| उद्देश्य-III राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रवर्तन तन्त्र की अवसंरचना का उन्नयन करना और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन करना | 16 | कार्रवाई -1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करना | आउटकम | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैकेन्डरी/वर्किंग स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करना | <u>प्रयोगशालाओं की संख्या</u> | 5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| | | कार्रवाई -2 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कार्य कर रही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यकरण का मूल्यांकन करना | गतिविधि | <u>सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं को चिह्नित करना</u> | संख्या | 2 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| | | कार्रवाई -3 परीक्षण उपकरणों की सुपुदगी एवं कमीशनिंग | गतिविधि | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं को बेहतर टूल किटों की आपूर्ति करना | संख्या | 7 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| | | कार्रवाई -4 सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं में निजी पक्षों के नमूनों का परीक्षण | गतिविधि | सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं में निजी पक्षों के नमूनों का परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करना | तारीख | 2 | 31.10.13 | 15.11.13 | 30.11.13 | 15.12.13 | 31.12.13 |

| कॉलम 1 उद्देश्य | कॉलम 2 भार | कॉलम 3 कार्रवाईयां | कॉलम 4 कार्रवाई की श्रेणी | कॉलम 5 | | कॉलम 6 भार | कॉलम 7 लक्ष्य / मापदंड मान | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | सफलता सूचक | ईकाई | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| उद्देश्य-IV राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण | 14 | कार्रवाई -1 मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति एवं कमीशनिंग | गतिविधि | एम.एंड ई. शीर्ष के तहत आबंटित की गई निधियों का मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति में उपयोग | प्रतिशत | 8 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | | | | | |
| | | कार्रवाई -2 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशाला के अध्ययन का स्वतन्त्र मूल्यांकन | गतिविधि | शेष बची 4 प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन के सौंपे गए कार्य को पूरा करना | तारीख | 3 | 1.01.2014 | 15.2.2014 | 28.2.2014 | 15.3.2014 | 31.3.2014 | | | | | |
| | | कार्रवाई -3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के राजस्व में सुधार | आउटकम | वित्त वर्ष 12-13 के आधार वर्ष के मुकाबले राजस्व में प्रतिशत सुधार | प्रतिशत | 3 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | | | | | |
| उद्देश्य -V भावी सौदा बाजारों का प्रभावी विनियमन | 4 | कार्रवाई -1 बाजारों की मॉनिटरिंग | आउटकम | कमोडिटी एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के सदस्यों की लेखा परीक्षा | आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या | 4 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | | | | | |
| उद्देश्य VI वायदा बाजारों और वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण | 12 | कार्रवाई -1 भावी सौदा बाजार का विकास | आउटकम | क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन | कार्यक्रमों की संख्या | 3 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | | | | | |
| | | | | जागरूकता और विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन | कार्यक्रमों की संख्या | 3 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | | | | | |
| | | | | पणधारियों के साथ बैठकें/ चर्चाएं | चर्चाओं की संख्या | 2 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | | | | | |

| कॉलम 1 | कॉलम 2 | कॉलम 3 | कॉलम 4 | कॉलम 5 | | कॉलम 6 | कॉलम 7 | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|--|---|-----------|---------------------|------------|-------|----------|---------|
| उद्देश्य | भार | कार्रवाईयां | कार्रवाई की श्रेणी | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
| | | | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <u>कार्रवाई -2</u> एपीएमसी मंडियों इत्यादि के माध्यम से मूल्य प्रसार करना | आउटकम | कमोडिटी एक्सचेंजों की एपीएमसी मंडियों के साथ संयोजकता | लगाए गए टिकर बोर्डों की संख्या | 4 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 |
| उद्देश्य-VII विभिन्न स्कीमों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का उन्नयन एवं संरक्षण करना | 5 | <u>कार्रवाई -1</u> तुलनात्मक परीक्षण में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को शामिल करना | गतिविधि | रिपोर्टें एवं परिणाम बताते हुए उत्पादों एवं सेवाओं का परीक्षण | संख्या | 3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| | | <u>कार्रवाई -2</u> उत्पादों/सेवाओं के परिणामों के आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार | आउटकम | उत्पादों/सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण की रिपोर्टों के आंकड़ों का प्रसार | 45 दिनों के अन्दर-अन्दर प्रकाशित किए गए परिणामों का % | 2 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| | 85 | | | | | 85 | | | | | |

खंड 3

तालिका 2: सफलता सूचकों का प्रवृत्ति मान

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 14/15 के लिए प्रक्षेपित मूल्य | वित्त वर्ष 15/16 के लिए प्रक्षेपित मूल्य |
|--|--|---|--------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उद्देश्य-1 अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाना | कार्रवाई 1 प्रिन्ट विज्ञापन के माध्यम से प्रचार | हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन - विज्ञापनों की संख्या। | संख्या | 8,000 | 12,000 | 9450 | 10,500 | 12000 |
| | कार्रवाई 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार | दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, निजी टी.वी.चैनलों और निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों तथा लोक सभा/राज्य सभा टी.वी. के माध्यम से श्रव्य दृश्य स्पॉट रिलीज़ करना - स्पॉटों की संख्या | संख्या | 150,000 | 170,000 | 151,200 | 170,000 | 190,000 |
| | कार्रवाई 3 अन्य माध्यमों से प्रचार | बैनरों, होर्डिंगों, डाकघर की पास बुकों, रेलवे टिकटों, व्यापार मेलों, तिरूपति प्रवेश कार्डों, मेलों/ प्रदर्शनियों में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से विज्ञापन | संख्या | 7000 | 9000 | 7110 | 8000 | 9000 |

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 14/15 के लिए प्रक्षेपित मूल्य | वित्त वर्ष 15/16 के लिए प्रक्षेपित मूल्य |
|--|---|---|---------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | कार्रवाई 4 एक संयुक्त उपभोक्ता जागरूकता सूचकांक (सी.ए.आई.) विकसित करना | देश में उपभोक्ता जागरूकता के राष्ट्रीय संयुक्त सूचकांक को अन्तिम रूप देना | समयसीमा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 31.1.2014 | -- | -- |
| | कार्रवाई 5 झुठे/भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम | भ्रामक विज्ञापनों के खतरे से निपटने के लिए सचिवों की समिति/मंत्रिमंडल को एक नोट प्रस्तुत करना | तारीख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 15.11.13 | -- | -- |
| | कार्रवाई 6 राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार करना | राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति के मसौदे पर सचिवों की समिति/मंत्रिमंडल को एक नोट प्रस्तुत करना | तारीख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 31.1.2014 | -- | -- |
| | कार्रवाई 7 उपभोक्ताओं की शिकायतों के बारे में अध्ययन - शिकायतों का वर्गीकरण/प्रकृति | अध्ययन को पूरा करना | तारीख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 31.1.2014 | -- | -- |
| उद्देश्य -II उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी, किफायती और त्वरित प्रतितोष तन्त्र का प्रावधान | कार्रवाई -1 उपभोक्ता मंचों के प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना तैयार करना | लाभार्थी उपभोक्ता मंचों की संख्या | संख्या | 90 | 59 | 55 | 60 | 60 |
| | कार्रवाई -2 कन्फोनेट स्कीम के तहत उपभोक्ता मंचों का | देश के सभी उपभोक्ता मंचों में कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को पूरा करना | संख्या | 185 | 90 | 90 | 100 | 100 |

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 14/15 के लिए प्रक्षेपित मूल्य | वित्त वर्ष 15/16 के लिए प्रक्षेपित मूल्य |
|---|---|--|--------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | कम्प्यूटरीकरण | | | | | | | |
| | कार्रवाई 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन स्थापित करना | अनेक अतिरिक्त राज्य हैल्पलाईन कार्यरत हैं। | संख्या | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| उद्देश्य-III | कार्रवाई -1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करना | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैकेन्डरी/वर्किंग स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करना | संख्या | 85 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रवर्तन तन्त्र की अवसंरचना का उन्नयन करना और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन करना | कार्रवाई -2 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कार्य कर रही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यकरण का मूल्यांकन करना | सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं को चिह्नित करना | संख्या | उपलब्ध नहीं | 36 | 45 | 45 | 45 |
| | कार्रवाई -3 परीक्षण उपकरणों की सुपुदगी एवं कमीशनिंग | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं को बेहतर टूल किटों की आपूर्ति करना | संख्या | 200 | 900 | 90 | 100 | 120 |
| | कार्रवाई -4 सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं में निजी पक्षों के नमूनों का परीक्षण | सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं में निजी पक्षों के नमूनों का परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करना | तारीख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 15.11.13 | -- | -- |

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 14/15 के लिए प्रक्षेपित मूल्य | वित्त वर्ष 15/16 के लिए प्रक्षेपित मूल्य |
|--|--|---|---------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उद्देश्य-IV राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण. | कार्रवाई -1 अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं के सृजन और उन्नयन के लिए मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति | एम.एंड ई. शीर्ष के तहत आबंटित की गई योजनागत निधियों का मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति में उपयोग | प्रतिशत | 53.9 | 98 | 90 | 90 | 90 |
| | कार्रवाई -2 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशाला के अध्ययन का स्वतन्त्र मूल्यांकन | शेष बची 4 प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन के सौंपे गए कार्य को पूरा करना | तारीख | उपलब्ध नहीं | 30.4.2012 | 15.2.2014 | -- | -- |
| | कार्रवाई -3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के राजस्व में सुधार | वित्त वर्ष 12-13 के आधार वर्ष के मुकाबले राजस्व में प्रतिशत सुधार | प्रतिशत | -- | -- | 18 | 18 | 18 |
| उद्देश्य -V भावी सौदा बाजारों का प्रभावी विनियमन | कार्रवाई -1 [हटा दी गई] कार्रवाई -1 बाजारों की मॉनिटरिंग | कमोडिटी एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के सदस्यों की लेखा परीक्षा | संख्या | 325 | 400 | 300 | 350 | 450 |
| उद्देश्य VI वायदा बाजारों और वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण | कार्रवाई -1: भावी सौदा बाजार का विकास | क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन | संख्या | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| | कार्रवाई -1(ख) | जागरूकता और विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन | संख्या | 818 | 875 | 1000 | 1200 | 1500 |
| | कार्रवाई -1(ग) | पणधारियों के साथ बैठकें/ चर्चाएं | संख्या | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 14/15 के लिए प्रक्षेपित मूल्य | वित्त वर्ष 15/16 के लिए प्रक्षेपित मूल्य |
|--|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | कार्रवाई -2 एपीएमसी मंडियों इत्यादि के माध्यम से मूल्य प्रसार करना | कमोडिटी एक्सचेंजों की एपीएमसी मंडियों के साथ संयोजकता | संख्या | 670 | 433 | 230 | 250 | 250 |
| उद्देश्य-VII विभिन्न स्कीमों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का उन्नयन एवं संरक्षण करना | कार्रवाई -1 तुलनात्मक परीक्षण में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को शामिल करना | रिपोर्टें एवं परिणाम बताते हुए उत्पादों एवं सेवाओं का परीक्षण | संख्या | 26 | 25 | 25 | 9 | 9 |
| | कार्रवाई -2 उत्पादों/सेवाओं के परिणामों के आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार | उत्पादों/सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण की रिपोर्टों के आंकड़ों का प्रसार | 45 दिनों के अन्दर-अन्दर प्रकाशित किए गए परिणामों का % | -- | -- | 90 | -- | -- |

खंड 4 - सफलता सूचकों का विवरण एवं परिभाषा तथा प्रस्तावित माप का तरीका

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|----------------------|---|---|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उद्देश्य - I | | | | | |
| 1 | हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन - विज्ञापनों की संख्या। | सफलता सूचक प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों की संख्या को दर्शाता है। | जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्षों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होंगे। | वार्षिक योजना (2013-14) के लक्ष्यों के अनुसार | कोई नहीं |
| 2 | दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, निजी टी.वी.चैनलों और निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों तथा लोक सभा/राज्य सभा टी.वी. के माध्यम से श्रव्य दृश्य स्पॉट रिलीज़ करना - स्पॉटों की संख्या | सफलता सूचक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (श्रव्य दृश्य) में विज्ञापनों की संख्या को दर्शाता है। | जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्षों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होंगे। | वार्षिक योजना (2013-14) के लक्ष्यों के अनुसार | कोई नहीं |
| 3 | बैनरों, होर्डिंगों, डाकघर की पास बुकों, रेलवे टिकटों, व्यापार मेलों, तिरुपति प्रवेश कार्डों, मेलों/प्रदर्शनियों में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से विज्ञापन | सफलता सूचक आउटडोर मीडिया (हार्डिंग इत्यादि) में विज्ञापनों की संख्या को दर्शाता है। | जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्षों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होंगे। | वार्षिक योजना (2013-14) के लक्ष्यों के अनुसार | कोई नहीं |
| उद्देश्य - II | | | | | |
| 4 | अवसंरचना की दृष्टि से लाभार्थी उपभोक्ता मंचों की संख्या | सफलता सूचक उन उपभोक्ता मंचों की संख्या को दर्शाता है जहां अवसंरचना पूरी हो चुकी है। | पूर्ण रूप से कार्यशील बन चुके उपभोक्ता मंचों के आधार पर विभिन्न वर्षों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होंगे। | वार्षिक योजना (2013-14) के लक्ष्यों के अनुसार भवन निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए लगभग 250 जिला मंचों को सहायता प्रदान की जाएगी | कोई नहीं |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|-----------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | देश के सभी उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करना | सफलता सूचकांक ऐसे उपभोक्ता मंचों के प्रतिशत को दर्शाता है जहां कानफोनेट स्कीम के तहत कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की प्रक्रिया एन.आई.सी. द्वारा पूरी कर ली गई है. | इस प्रक्रिया में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी सहायता कार्मिकों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मंच कार्यशील होंगे। | वार्षिक योजना (2013-14) के अनुसार 12वीं योजना के दौरान हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और टीएसपी/मानवशक्ति उपलब्ध कराते हुए कुल मिलाकर 632 जिला मंचों, 35 राज्य आयोगों और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सहायता की जाएगी। | कानफोनेट : देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग मुख्य घटक: सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का विकास/उन्नयन, नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कार्यशाला, प्रशिक्षण, प्रचालन स्टॉफ |
| 6 | कार्यशील बनाई गई राज्य हैल्पलाईनों की संख्या | विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन स्थापित करने का प्रस्ताव देता है ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतें कर सकें और उनका समाधान प्राप्त कर सकें। | उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी, किफायती और त्वरित प्रतितोष तन्त्र का प्रावधान हैल्पलाईनों द्वारा उपभोक्ताओं को एक टोल फ्री नम्बर दिया जाएगा जिस पर कॉल करके वे अपने दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैल्प लाईनें स्थापित करने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जिनमें से 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैल्पलाईनें कार्य कर रही हैं। यह लक्ष्य धीरे-धीरे कम किया जाएगा क्योंकि अधिक से अधिक राज्य हैल्पलाईनें कार्यशील हो रही हैं। | विभाग का उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईनों का कार्यान्वयन करना है। |
| उद्देश्य - III | | | | | |
| 7 | सैकेन्डरी/वर्किंग स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान | सहायता अनुदान, वर्किंग/सैकेन्डरी स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए दी गई राशि है और इसमें भूमि की लागत भी शामिल है। | सहायता अनुदान | प्रयोगशालाओं की संख्या | |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|---------------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | <u>सैकेन्डरी प्रयोगशालाओं को बेंचमार्क करना</u> | मूल्यांकन इस बात का मापदंड होगा कि प्रयोगशाला ने कब कार्य करना आरम्भ किया, क्या वहां पर्याप्त और प्रशिक्षित स्टाँफ उपलब्ध है आदि। | मूल्यांकित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या | प्रयोगशालाओं की संख्या इसमें सभी 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। देश भर में सैकेन्डरी मानक प्रयोगशालाओं की संख्या लगभग 100 है। | -- |
| 9 | <u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेहतर टूल किटों की आपूर्ति करना</u> | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधिक माप विज्ञान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सैकेन्डरी/वर्किंग स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति डी.जी.एस.एंड डी और भारत सरकार टकसाल, मुम्बई इत्यादि द्वारा की जाती है। | आपूर्ति एवं कमीशनिंग किए गए उपकरणों की संख्या | उपकरणों की संख्या/सेट | -- |
| उद्देश्य -IV | | | | | |
| 10 | एम.एंड ई. शीर्ष के तहत आबंटित की गई योजनागत निधियों का मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति में उपयोग | अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं के सृजन और उन्नयन के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति | राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना | उपयोग का प्रतिशत | आबंटित निधियों में से अधिकांश का उपयोग वित्त वर्ष के अन्त तक कर लिया जाएगा। |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|---------|---|---|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | उद्देश्य - V एवं VI | | | | |
| 11 | कमोडिटी एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के सदस्यों की लेखा परीक्षा | वायदा बाज़ार आयोग भारत में कमोडिटी डेरीवेटिव्स मार्केट का नियामक है और अधिनियम के तहत इसका कार्य बाज़ारों को प्रभावी ढंग से विनियमित करना है। बाज़ारों की मॉनिटरिंग सतत आधार पर की जाती है और जब कभी भी आवश्यक हो हस्तक्षेप किया जाता है। | इस शीर्ष के तहत मात्रात्मक रूप में व्यक्त की जा सकने वाली केवल एक ही गतिविधि एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के सदस्यों की बहियों का निरीक्षण ही है जिसके लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। | एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के सदस्यों की लेखा परीक्षा को पूरा करने के लक्ष्य दिए गए और तदनुसार उपलब्धि को मापा गया। विनियामकों की पूरी स्कीम में इसके महत्व को देखते हुए इस गतिविधि को 12.5% का भार दिया गया। | |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|---------|--|--|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना जागरूकता एवं विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना पणधारियों के साथ बैठकें/चर्चाएं | विभिन्न विकासात्मक पहलों (जैसे कि जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, पणधारियों के साथ बैठकों/चर्चाओं का आयोजन) जो कि वायदा बाज़ार आयोग द्वारा अपने महत्वपूर्ण नियामक कार्य की पूर्ति के लिए की जा रही अतिरिक्त पहलें हैं, की मात्रा निर्धारित की गई है। | वायदा बाज़ार आयोग, किसानों तथा अन्य पणधारियों को भावी सौदा बाज़ार के लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता के सृजन पर अधिक से अधिक जोर दे रहा है। पणधारियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकें, भावी सौदा बाज़ार के विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा झोले जा रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और इन बज़ारों में बिचौलियों की भागीदारी में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। | प्रत्येक विकासात्मक पहल को दिया गया भार उनके सम्भावित प्रभाव और उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर आधारित है। जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रत्येक को 18.75 % भार दिया गया है। पणधारियों के साथ बैठकों/चर्चाओं को 5% भार दिया गया है। | |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|---------|------------|--|-----------------|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | नियामक कार्यों को अंजाम देने के लिए की गई अतिरिक्त पहलों में से एक है। | सम्भावनाएं हैं। | | <p>विगत में, मूल्य टिकर बोर्ड पहल से लीगाए गए टिकर लगाने के लिए साइट पर बोर्डों के कार्यक्रम को इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित सुनिश्चित करने पर अधिक पर्सनल कम्प्यूटर की ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पड़ती थी। दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्यों इंटरनेट कनेक्टिविटी, में पर्याप्त कमी करने का कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अभाव, कम्प्यूटर में वायरस साथ ही, एस एम एस एलटू आ जाने इत्यादि जैसे जैसे अन्य मीडिया माध्यमों कठिनाइयों के कारण से मूल्य प्रसार भी किया परम्परागत मूल्य टिकर जा रहा है जो किसानों के बोर्ड, पूर्ण रूप से कार्य नहीं लाभ के लिए अधिक प्रभावी करते थे। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए वायदा बाजार आयोग ने जी.पी.आर.एस. युक्त टिकर बोर्ड लगाने आरम्भ कर दिए जो कि अपने आप में एक पूर्णतः कार्यशील ईकाई है जिससे ए.पी.एम.सी. में मात्र थोड़ी सी बिजली आपूर्ति को छोड़कर कम्प्यूटर/इंटरनेट कनेक्शन, स्टॉफ इत्यादि की आवश्यकता नहीं रह गई है</p> |

| क्र.सं. | सफलता सूचक | विवरण | परिभाषा | माप | सामान्य टिप्पणियां |
|---------|---|---|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | उद्देश्य - VII | | | | |
| 13 | वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर | <p>विभाग, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सहायता से विभिन्न उत्पादों/सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण करता है।</p> <p>उत्पादों का परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतर मानकों के आधार पर किया जाता है और उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है।</p> <p>उपभोक्ताओं के लाभ के लिए परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं। सफलता सूचक वर्ष के दौरान परीक्षित किए गए ऐसे उत्पादों की संख्या को दर्शाता है।</p> | उत्पाद का तुलनात्मक परीक्षण एन.ए.बी.एल. से प्रमाणित प्रयोगशाला में किया जाता है। | परियोजना को मॉनिटर करने के लिए विभाग द्वारा गठित कार्यकारी समिति द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। | --- |

खंड 5 – वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अन्य विभागों की विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | उद्देश्य I | | | | | | | |
| अखिल भारत | उपलब्ध नहीं | विभाग | डीएवीपी एवं एनएफडीसी | हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन - विज्ञापनों की संख्या। | एजेन्सियों को मीडिया प्लॉन एवं रिलीज़ आर्डर की प्राप्ति | मंत्रालयों/विभागोंके सभी विज्ञापन अभियान डीएवीपी/ एनडीएफसी के माध्यम से रिलीज़ किए जाने अपेक्षित हैं। | सभी विज्ञापन अभियानों में डीएवीपी/ एनडीएफसी को शामिल करना होगा | अखिल भारत |
| अखिल भारत | उपलब्ध नहीं | विभाग | डीएवीपी एवं एनएफडीसी | दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, निजी टी.वी.चैनलों और निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों तथा लोक सभा/राज्य सभा टी.वी. के माध्यम से श्रव्य दृश्य स्पॉट रिलीज़ करना - स्पॉटों की संख्या | एजेन्सियों को मीडिया प्लॉन एवं रिलीज़ आर्डर की प्राप्ति . | मंत्रालयों/विभागोंके सभी विज्ञापन अभियान डीएवीपी/ एनडीएफसी के माध्यम से रिलीज़ किए जाने अपेक्षित हैं। | सभी विज्ञापन अभियानों में डीएवीपी/ एनडीएफसी को शामिल करना होगा | अखिल भारत |
| अखिल भारत | उपलब्ध नहीं | विभाग | डीएवीपी एवं एनएफडीसी | बैनरों, होर्डिंगों, डाकघर की पास बुकों, रेलवे टिकटों, व्यापार मेलों, तिरुपति प्रवेश कार्डों, मेलों/ प्रदर्शनियों में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से विज्ञापन | एजेन्सियों को मीडिया प्लॉन एवं रिलीज़ आर्डर की प्राप्ति . | मंत्रालयों/विभागोंके सभी विज्ञापन अभियान डीएवीपी/ एनडीएफसी के माध्यम से रिलीज़ किए जाने अपेक्षित हैं। | सभी विज्ञापन अभियानों में डीएवीपी/ एनडीएफसी को शामिल करना होगा | अखिल भारत |

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उद्देश्य II | | | | | | | | |
| अखिल भारत | सभी भागीदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | अवसंरचना की दृष्टि से लाभार्थी उपभोक्ता मंचों की संख्या | उपभोक्ता विवादों/शिकायतों का निपटान | -- | निपटान का बेहतर प्रतिशत | -- |
| | -तदैव- | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | देश के सभी उपभोक्ता मंचों में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का पूरा होना | -तदैव- | -- | -तदैव- | -- |
| अखिल भारत | भारत के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सरकार | राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में हैल्पलाईनों का कार्यशील होना | उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन को चलाना | हैल्पलाईन द्वारा कॉल करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर दिया जाएगा जिस पर उपभोक्ता कॉल कर सकेंगे और अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। | राज्य सरकार स्थान, जल और मुफ्त बिजली के रूप में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करेगी। | उपभोक्ता प्रतितोष तन्त्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। |

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उद्देश्य III | | | | | | | | |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैकेन्डरी/वर्किंग स्टैन्डर्ड प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए सहायता अनुदान | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान का उपयोग भूमि की अधिप्राप्ति सहित प्रयोगशाला के निर्माण हेतु कर सकती है। | सहायता अनुदान का शीघ्र उपयोग | सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र | उस राज्य को आगे सहायता अनुदान नहीं दिया जाएगा। |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार | विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यकरण का मूल्यांकन | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टॉफ की तैनाती की जाए और प्रयोगशाला शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर दे। | सहायता अनुदान से निर्मित भवनको तत्काल कार्य करने योग्य बनाया जाए। | सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रयोगशाला विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अनुरूप कार्य कर रही है। | उस राज्य को आगे सहायता अनुदान नहीं दिया जाएगा। |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्र सरकार / सरकारी स्वायत्तशासी निकाय | 1. डी.जी.एस.एंड डी., आपूर्ति विभाग . 2. भारत सरकार टकसाल, मुम्बई | डी.जी.एस.एंड डी तथा भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहमति प्राप्त उपकरणों की आपूर्ति एवं कमीशनिंग | संगठन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरणों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। | इन संगठनों के लिए रखी गई निधियों का शीघ्र उपयोग | आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों के संस्थापना प्रमाण पत्र | प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। |

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|--|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उद्देश्य IV | | | | | | | | |
| कोलकाता-पश्चिम बंगाल, - गाजियाबाद, उ.प्र. - मुम्बई, महाराष्ट्र - चेन्नई, तमिलनाडु - जयपुर, राजस्थान - गुवाहाटी, असम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेन्सियां और निर्माता मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति और निर्माण में लगे हुए हैं। | निविदा का मूल्यांकन पूरा होने के उपरान्त ही पता चल सकता है। | आबंटित निधियों के उपयोग का प्रतिशत | मशीनरी की समय पर आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करना और सेवा सहायता प्रदान करना। | चूंकि सभी अधिप्राप्तियां खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही हैं। | उल्लिखित मॉडल की आपूर्ति करने और मशीनरी की समय पर आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करने तथा सेवा सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। | केवल समझाया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है तथा बाहरी एजेन्सियों पर कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है। |

उद्देश्य : V एवं VI

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| कमोडिटी एक्सचेंज | मुम्बई, अहमदाबाद | निजी कम्पनियां | एक्सचेंज | विभिन्न पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करना और वस्तु भावी सौदा बाज़ार में क्षमता निर्माण करना। | वायदा बाज़ार आयोग की अभिज्ञात विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए भागीदार संस्थानों/एजेन्सियों से समय पर सहायता प्राप्त करना | वस्तु भावी सौदा बाजार की पहुंच में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना कि मूल्य खोज और मुल्य जोखिम प्रबन्धन के आर्थिक लाभ सभी भागीदारों को मिल रहे हैं। | पूर्ण सहयोग | जागरूकता की कमी के कारण भावी सौदा बाजार के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और भौतिक बाजार खिलाड़ियों की भागीदारी कम है। |
| | सभी राज्य | | कृषि विश्वविद्यालय | | | | | |
| | सभी राज्य | | शैक्षणिक संस्थान | | | | | |
| | मुम्बई | | नाबार्ड | | | | | |
| | जयपुर | | एन.ए.आई.एम. | | | | | |
| | मुम्बई | | एम.ए.एन.ए.जी.ई. | | | | | |

| अवस्थिति का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक | इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है | इस अपेक्षा का औचित्य | इस संगठन से अपनी अपेक्षा को मात्रात्मक रूप में बताएं | यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता ? |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| राज्य सरकारें | सभी राज्य | सरकारें s | कृषि मंत्रालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार), राज्य सरकारें, विपणन बोर्ड | कमोडिटी एक्सचेंजों की एपीएमसी मंडियों, कोआपरेटिव सोसायटियों, प्राथमिक कृषि सोसायटी लि० इत्यादि के साथ संयोजकता | (i) कृषि वस्तुओं के स्पॉट बाजार मूल्य का समय पर प्रसार करने के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय और एन.आई.सी. की सहायता प्राप्त करना | (i) यह सुनिश्चित करना कि कीमतों के बारे में समय पर और सही सूचना के जरिए भौतिक बाजार भागीदारों, विशेषकर किसानों, को मूल्य वृद्धि मिल रही है। | पूर्ण सहयोग | परियोजना के कार्यान्वयन की गति को नुकसान होगा |
| -- | -- | -- | -तदैव- | -तदैव- | (ii) प्रारम्भिक स्तर पर परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागों का समर्थन प्राप्त करना | (ii) परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए कृषि से सम्बन्धित सभी पदधारियों के विचार प्राप्त करना | -तदैव- | -तदैव- |
| उद्देश्य VII | | | | | | | | |
| अखिल भारत | भारत के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन | वॉयस सोसायटी | उत्पादों एवं सेवाओं से उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर | उत्पादों/सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण/मूल्यांकन करना | उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना | तुलनात्मक परीक्षण के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करना और उपभोक्ताओं को सूचना का प्रसार करने के लिए उसके परिणाम को प्रकाशित करना। | भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दोषों एवं कमियों को ध्यान में रखा जाएगा। |

विभाग की गतिविधियों की उपलब्धियां/प्रभाव
[सिंडीकेट 6 – उपभोक्ता मामले विभाग]

| क्रम सं. | मंत्रालय/विभाग की उपलब्धियां/प्रभाव | किस के साथ | सफलता सूचक | ईकाई | 2011-12 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|---|---------------------------------------|---|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1) | उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति बेहतर जागरूकता | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपक्रम | उपभोक्ता जागरूकता सूचकांक | % | -- | टीबीडी | टीबीडी | टीबीडी | टीबीडी |
| 2) | उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी निवारण | डी.ए.आर. एंड पी.जी. | समय पर निपटाई गई शिकायतों का % | % | 63.2 | 80.7 | 85 | 90 | 93 |
| 3) | उपभोक्ता उत्पादों एवं सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता | स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन | उत्पादों और सेवाओं से उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर | % | * | * | टीबीडी | टीबीडी | टीबीडी |
| 4) | उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं का बेहतर विनियमन | | उपलब्धता का स्तर | % | * | * | टीबीडी | टीबीडी | टीबीडी |
| 5) | वस्तु भावी सौदा बाजारों का बेहतर विनियमन | वायदा बाजार आयोग, मुम्बई | 5.1 लेन-देन का मूल्य (लाख करोड़ रूपए में) | संख्या | 119.49 | 181.26 | 280.00 | 428.00 | 650 |
| | | -तदैव- - | 5.2 धातुओं, खनिजों और अयस्कों का लेन-देन (लाख करोड़ रूपए में) | संख्या | 104.93 | 159.30 | 125.42 | -- | -- |
| | | -तदैव- - | 5.3 अन्य वस्तुएं (कृषि उत्पाद, खाद्यान्न इत्यादि सहित) (लाख करोड़ रूपए में) | संख्या | 14.56 | 21.96 | 18.76 | -- | -- |

[* – मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता]

अनिवार्य सफलता सूचक (2013-14)

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
|---|--|------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 1. आर.एफ.डी. प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण [3] | मसौदा आर.एफ.डी. (2014-15) को अनुमोदन के लिए समय पर प्रस्तुत करना | समय पर प्रस्तुत करना | तारीख | 2% | 5.03.2014 | 6.03.2014 | 7.03.2014 | 8.03.2014 | 11.03.2014 |
| | परिणाम (2012-13) को समय पर प्रस्तुत करना | समय पर प्रस्तुत करना | तारीख | 1% | 1.05.2013 | 2.05.2013 | 3.05.2013 | 6.05.2013 | 7.05.2013 |
| | | | | | | | | | |
| 2. प्रशासनिक सुधार [6] | भ्रष्टाचार के सम्भावित जोखिम को कम करने के लिए गम्भीरता कम करने वाली कार्यनीति को कार्यान्वित करना | कार्यान्वयन का % | % | 1% | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| | अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आई.एस.ओ.9001 को कार्यान्वित करना | कार्यान्वयन का % | % | 2% | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| | नूतन कार्रवाई योजना (आई.ए.पी.) का कार्यान्वयन | प्राप्त किए गए लक्ष्यों का % | % | 2% | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| | दूसरे ए.आर.सी. की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग की कोर और गैर-कोर गतिविधियों की पहचान करना | समय पर प्रस्तुत करना | तारीख | 1% | 1.10.2013 | 15.10.2013 | 30.10.2013 | 10.11.2013 | 20.11.2013 |
| 3. आन्तरिक कुशलता/जिम्मेदारी/ पारदर्शिता में सुधार लाना | नागरिकों/ग्राहकों के चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतन्त्र लेखा परीक्षा | कार्यान्वयन का % | % | 2% | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |

| उद्देश्य | कार्रवाईयां | सफलता सूचक | ईकाई | भार | लक्ष्य / मापदंड मान | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक | निकृष्ट |
| | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| मंत्रालय/विभाग की सेवा प्रदायगी [6] | | | | | | | | | |
| | लोक शिकायत प्रतितोष प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतन्त्र लेखा परीक्षा | कार्यान्वयन का % | % | 2% | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| | 12वीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना | कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना | तारीख | 2% | 10.09.2013 | 17.09.2013 | 24.09.2013 | 1.10.2013 | 8.10.2013 |
| | कुल भार = 15 | | | | | | | | |